लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भेपाल
E-Mail-additionaldirector10@gmailil.com

क्रमांक / पी0ए0 / अप.संचा. / विविध / ईपीईएस / 2018 / 99 भोपाल, दिनांक 18-.10.2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर,
   बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक,
   (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर,
   बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय :– एक परिसर एक शाला के कैम्पस सत्यापन हेतु महत्वपूर्ण सूचना ।

— 0 —

एक परिसर एक शाला योजना मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सत्र 2018–19 की महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत एक परिसर में उपस्थित सभी शालाओं का एक मुख्य शाला मे विलय होना है, और सभी शालाओं का एकीकृत रूप से संचालन करना है। शिक्षा विभाग द्वारा परिसर में उपस्थित शालाओं की एक सूची GIS के Latitude एवं Longitude की Analysis करके तैयार की गई थी। GIS Analysis में कुछ त्रुटियां संभव थी, जैसे की Latitude, Longitude, Data के गलत होने से एक कैम्पस में कोई स्कूल गलत जुड़ गया हो या कोई स्कूल नहीं जुड़ा हो । अतः इसका सत्यापन करने हेतु विमर्श पोर्टल पर एक Dash Board बनाया गया था और विगत 2–3 माह से सभी जिले कैम्पस सत्यापन की प्रक्रिया इसके माध्यम से कर रहे हैं।

कुछ जिलों ने इस प्रक्रिया में सक्रियता दिखाई है परन्तु खेदजनक है कि कुछ जिलों का सत्यापन अभी भी शतप्रतिशत नहीं हो पाया है। इस कार्य को अतिशीघ्र करना आवश्यक है, सत्यापन के बाद ही परिसर को एकीकृत रूप से संचालित करने के कार्य को पूर्ण रूप से सफल किया जा सकेगा। अतः शिक्षा विभाग द्वारा विमर्श पोर्टल पर सभी ब्लाक स्त्रोत समन्वयक (BRC) के एक परिसर एक शाला लॉग–इन (EPES Login) पर संबंधित विकासखण्ड की EPES की परिसर–वार सूची उपलब्ध कराई जा रही है।

सभी जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के सभी ब्लाक स्त्रोत समन्वयक (BRC) इस शीट को पोर्टल से डाउनलोड करके पुनः Verify करा लें। अंतिम सत्यापन / Verification की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

2/

विकासखण्ड में BRC की यह जिम्मेदारी है कि वह Cluster अकादमिक समन्वयक (CAC) की बैठक दिनांक 25.10.2018 से 27.10.2018 के बीच कराकर अपने विकासखण्ड के परिसरों का अंतिम सत्यापन सुनिश्चित करें। यदि उपलब्ध कराई शीट में कोई त्रुटियां रह गई या कोई बदलाव करना है तो BRC इसे शीट में ही सुधार लें। साथ ही उसी बैठक में Updated शीट BRC अपने (EPES Login) के माध्यम से 29.10.2018 से पहले अपलोड/अपलोड कराना सुनिश्चित करें। Updated शीट में बताये गये Campus एवं उनके विलय किये गये स्कूल अंतिम माने जायेंगे एवं इनके आधार पर ही भविष्य में विलय की गई शालाओं के आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। Updated शीट पूर्ण एवं शतप्रतिशत सही हों इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः BRC की होगी।

Google Sheet tracker जिसमें की EPES विद्यालयों के एकीकरण के संबंध में 4 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। (एकीकृत एकीकृत शाला प्रबंध समिति का गठन, एकीकृत Infrastructure, एकीकृत समय सारिणी, एकीकृत परिसर का एक संस्था प्रमुख), यह जानकारी भी कैंपसवार दर्ज करायें।

सभी जिला परियोजना समन्वयक (DPC) यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले अंतर्गत सभी विकासखण्डों में यह प्रक्रिया 29.10.2018 के पूर्व पूर्ण हो जाये।

✓ 29/10/18.

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उक्त प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे एवं संभागीय संयुक्त संचालक यथा संभव यह प्रयास करें कि विकासखण्डवार आयोजित संकुल अकादमिक समन्वयकों की बैठक में उनके उस जिले के प्रभारी अधिकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो तथा अपनी उपस्थिति में उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करावें। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक स्वयं भी कम से कम दो विकासखण्डों की बैठकों में उपस्थित रहें।

(जयश्री कियावत) 18
आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ0क्रमांक/पी0ए0/अप.संचा./विविध/ईपीईएस/2018/100 भोपाल, दिनांक 18-.10.2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, (मण्डला, डिण्डोरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (मण्डला, डिण्डोरी, अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, (OIC), (मण्डला, डिण्डोरी ,अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0